**सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़**

**पत्र संख्याः-370/प्रेसनोट/2020** **दिनांकः- 15 सितम्बर 2020**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**थाना जहानागंज**

**दो नफर वाछित अभियुक्ता गिरफ्तार**

दिनांक 13.9.2020 को श्री राम यादव पुत्र स्व0 लक्खन राम यादव ग्राम हुसैनगंज थाना सिधारी जनपद आजमगढ हाल पता क्षेत्रीय लेखपाल सेवटा सदर जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 13.09.2020 को ग्राम सेवटा में श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश से पैमाइश के दौरान मुनीब राम पुत्र सहाबुद्दीन, देवा उर्फ राजदेव पुत्र मुनीर, प्रमीला पत्नी देवा उर्फ राजदेव निवासीगण सेवटा थाना जहानगंज व 4-5 व्यक्तियों द्वारा मौके पर मौजूद हम राजस्व टीम के अधिकारी व कर्मचारीगण एवं पुलिस बल को समय 03.30 बजे गाली गुप्ता देते हुए एवं कार्य सरकार में बाधा डालते हुए हम सभी लोगों को ईट पत्थर चलाकर मारने लगे एवं जेसीबी को तोड़-फोड़ कर नुकसान करने लगे व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। वादी के तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने पर मु0अ0स0 201/20 धारा 147/353/332/504/506/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

दिनांक 15.09.2020 को व0उ0नि0 विकास चन्द पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 201/2020 धारा 147/353/332/504/506/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्ता 1. प्रमिला देवी पत्नी देवा उर्फ राजदेव , 2. सुभावती देवी पत्नी जयराम राम निवासी सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को समय करीब 09.00 बजे सुबह गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोगः-**

**1-** मु0अ0स0 201/20 धारा 147/353/332/504/506/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट

**आपराधिक इतिहासः-**

प्रमिला देवी पत्नी देवा पत्नी उर्फ राजदेव निवासी सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

1-धारा 237/19 धारा 323/504/506/308 भादवि

**गिरफ्तार अभियुक्ता-**

1. प्रमिला देवी पत्नी देवा उर्फ राजदेव ,
2. सुभावती देवी पत्नी जयराम राम निवासी सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-**

1-व0उ0नि0 विकास चन्द पाण्डेय मय हमराह थाना जहानागंज, आजमगढ़।

**थाना- बरदह**

**01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

आज दिनांक 15.09.2020 को उ0नि0 विष्णु प्रसाद मिश्रा उ0नि0 देवलाल यादव मय हमराह हे0का0अशोक सिंह यादव का0 आफताब आलम का0 अरविन्द पाल देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अभियुक्त की गिरफ्तार हेतु ग्राम जिवली मे मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना दिया गया कि मु0अ0स0 132/20 धारा 147 ,323,504,308,506,452,427 भादवि, से सम्बन्धित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है इस सूचना पर विश्वाश कर उ0नि0 मय हमराहियान के ग्राम सकरामऊ अभियुक्त के घर पहुचे तो एक व्यक्ति अपने घर के सामने चारपाई पर बैठा दिखाई दिया पुलिसवालो को देखकर सकपका कर भागने लगा कि पुलिस वालो द्वारा घेर कर पकड लिया गया । पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम ओमप्रकाश पुत्र रामप्रकाश ग्राम सकरामऊ थाना बरदह आजमगढ बताया तस्दीक करने के उपरान्त कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 7.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग-**

**1-** मु0अ0स0 132/20 धारा 147,323,504,308,506,452,427 भादवि, थाना बरदह आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. ओमप्रकाश पुत्र रामप्रकाश ग्राम सकरामऊ थाना बरदह आजमगढ

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

**1-** उ0नि0 विष्णु प्रसाद मिश्रा उ0नि0 देवलाल यादव मय हमराह थाना- बरदह, आजमगढ़।